

मुकदमों का विवरण

पवन कुमार बनाम।

उत्तर प्रदेश राज्य और ओ. आर. एस. (2023 की आपराधिक अपील संख्या 3548) 21 नवंबर, 2023

[संजय किशन कौल और सुधांशु धूलिया, जे. जे.] हेडनोट्स

विचार के लिए विषय:निर्धारण के लिए जो प्रश्न उत्पन्न होता है वह यह है कि क्या अपीलार्थी अपराध करने के समय किशोर था।

किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) नियम, **2007 -आर. 12 (3) (बी)-** किशोरावस्था का लाभ-आयु निर्धारण में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया-जब आयु का सटीक आकलन नहीं किया जा सकता है:

आयोजित किया गया:किशोर की आयु अपराध के कथित अपराध की तारीख के आधार पर निर्धारित की जानी चाहिए-किशोरावस्था के मामले में जहां दो विचार संभव हैं, एक उदार दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए-इसके अलावा, आर के उप-नियम (3) (बी) के अनुसार।¹², इस मामले में आयु का सटीक आकलन नहीं किया जा सकता है, न्यायालय या बोर्ड या समिति, उनके द्वारा दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए, यदि आवश्यक समझा जाए तो बच्चे या किशोर को एक वर्ष के अंतराल के भीतर उसकी कम उम्र पर विचार करके लाभ दे सकती है-तथ्यों पर, जहां तक अपीलार्थी के संबंध में अपराध में शामिल है।³⁰², 307/34 आई. पी. सी. में अपीलार्थी की आयु के बारे में कुछ परस्पर विरोधी पहलू थे, आयु का अंतर इतना कम था-आर के अनुसार।¹², स्कूल प्रमाण पत्रों को पंचायत रजिस्टर की तुलना में अधिक महत्व दिया जाता है, जैसे कि अपीलार्थी द्वारा भाग लिए गए पहले स्कूल के प्रमाण पत्रों को छोड़ने वाला स्कूल एक प्रमाण पत्र होगा जिस पर विचार किया जाना चाहिए और यह अपीलार्थी की आयु के निर्धारण के लिए प्रमाण का एक वैध प्रमाण है, जिसमें उसकी आयु 16 वर्ष से कम थी जब अपराध किया गया था-दूसरा प्रमाण पत्र चिकित्सा रिपोर्ट है, अस्थि प्रमाण पत्र परीक्षण जो दर्शाता है कि वह लगभग 19 वर्ष का था, जो पूरी तरह से सटीक नहीं है-भले ही चिकित्सा रिपोर्ट जो अपीलार्थी की आयु 19 वर्ष दर्शाती है, 262 ली गई हो।

261

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 15 एस सी आर।

सही होने के लिए तब भी उम्र का सटीक आकलन संभव नहीं था-आई. सी. टी. आई. रिपोर्ट और दस्तावेजों को ध्यान में रखते हुए, आर के उप नियम 3 (बी) के अनुसार।¹², न्यायालय को

अपीलार्थी को एक वर्ष का लाभ देना चाहिए था-इस प्रकार, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की रिपोर्ट स्वीकार की जाती है और यह घोषित किया जाता है कि अपीलार्थी अपराध करने की तारीख को किशोर था-चूंकि अपीलार्थी को अधिकतम अवधि से अधिक समय तक हिरासत में रखा गया है, इसलिए उसे तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया जाता है-किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000-एस।15,16. [पैरा 26,30-34]

शहरों और
अन्य संदर्भों
की सूची

प्रताप सिंह बनाम झारखंड राज्य और एक अन्य [2005] 1 सं. सं. 1019:(2005) 3 एस. सी. सी. 551; सत्य देव उर्फ भूरे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य

[2020] 12 एससीआर 128:(2020) 10 एस. सी. सी. 555; हरिराम बनाम राजस्थान राज्य और एक अन्य [2009] 7 एस. सी. आर. 623:(2009) 13 एस. सी. सी. 211; शाह नवाज बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य (2011) 13 एस. सी. सी. 751:[2011] 9 एससीआर 859; विनोद कटारा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। 2022 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 1204; अर्नीत दास बनाम बिहार राज्य [2000] 1 पूरक।एससीआर 69:(2000) 5 एस. सी. सी. 488; मुकर्रब और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [2016] 8 एस. सी. आर. 557:(2017) 2 एससीसी 210; अश्विनी कुमार सक्सेना बनाम मध्य प्रदेश राज्य [2012] 10 एससीआर 540:(2012) 9 एससीसी 750; ऋषिपाल सिंह सोलंकी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2022) 8 एससीसी

602 – संदर्भित किया गया।

अन्य मामलों के विवरणों में आयातित आदेश और आवेदन शामिल हैं

आपराधिक अपील न्यायनिर्णय:2023 की आपराधिक अपील संख्या 3548।

2000 के सी. आर. एल. ए. No.106 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ के दिनांकित <आई. डी. 1 के निर्णय और आदेश से।

रूप:

सुश्री वंशजा शुक्ला, रिशद मुर्तजा, सुश्री अंकीता अप्पन्ना, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

अर्धेदुमौली कुमार प्रसाद, ए. ए. जी., रोहित के. सिंह, अविरल सक्सेना, प्रीतम विश्वास, आशीष मदान, सुश्री अनन्या साहू, अधिवक्ता।उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायाधीश सुधांशु धूलिया, जे।

छुट्टी दे दी गई।

2. इस न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी को बाराबंकी के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने 1996 के सत्र परीक्षण में भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 34 के साथ पठित धारा 302 और 307 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया है और उसे धारा 34 के तहत आजीवन कारावास और धारा 3 के तहत 7 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। उच्च न्यायालय द्वारा अपने दिनांकित 07.05.2019 आदेश में अपीलार्थी की दोषसिद्धि और सजा को बरकरार रखा गया था।

3. इस मामले में चार आरोपी थे-गया प्रसाद मिश्रा, गुलाब चंद्र, पवन कुमार और बाबदीन। अभियुक्त बाबदीन की मुकदमे के दौरान मृत्यु हो गई और उसका मामला समाप्त हो गया और शेष तीन को ऊपर बताए गए अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया। उक्त दोषसिद्धि को इलाहाबाद उच्च न्यायालय (लखनऊ पीठ) द्वारा बरकरार रखा गया है। इस बीच, जहां तक गया प्रसाद मिश्रा और गुलाब चंद्र का संबंध है, जो क्रमशः वर्तमान अपीलार्थी के पिता और भाई हैं, उन्हें राज्य की माफी नीति के तहत 19 साल से अधिक समय तक जेल में रहने के बाद समय से पहले रिहा कर दिया गया था। नतीजतन, उन्होंने इस अदालत के समक्ष कोई याचिका दायर नहीं की है।

4. इस न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी ने गुण-दोष के आधार पर विवादित आदेश को चुनौती देने के अलावा अपराध के कथित अपराध (दिनांक 01.12.1995) के समय किशोर होने का दावा भी किया है, एक याचिका जिसे विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया है।

5. हमारे समक्ष, अपीलार्थी की विद्वान वकील, सुश्री वंशजा शुक्ला ने प्रस्तुत किया है कि किशोरता की याचिका को सबसे पहले माना जा सकता है क्योंकि अपीलार्थी का दावा वास्तव में यह था कि घटना के समय, वह एक किशोर था और उसकी किशोरता की याचिका पर लागू कानून के सही अक्षर और भावना में विचार नहीं किया गया था। नतीजतन, मामले को उसके गुण-दोष पर देखने से पहले, हमने किशोरता के अनुरोध पर अपीलार्थी के वकील को विस्तार से सुना है।

264

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 15 एस सी आर।

6. हमें शुरू में ही यह बताना चाहिए कि अपीलकर्ता अपने मुकदमे के समय से ही किशोर होने का दावा कर रहा है, हालांकि देर से। निचली अदालत के साथ-साथ अपीलीय अदालत ने एक जांच के बाद पाया है कि घटना के समय अपीलार्थी किशोर नहीं था। चूंकि यह याचिका इस न्यायालय के समक्ष भी उठाई गई थी, इसलिए इस न्यायालय ने संबंधित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बाराबंकी से एक रिपोर्ट मांगी थी और इसके परिणामस्वरूप इस न्यायालय के समक्ष पहले एक अवसर पर एक

रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, जिसे हम कुछ समय में संदर्भित करेंगे। हालांकि, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बाराबंकी के नेतृत्व में अंतिम रिपोर्ट (दिनांक 28.09.2022) पहले के मामलों से अलग है, और अपीलार्थी के अपराध करने के समय किशोर होने के दावे को स्वीकार कर लिया गया है। हम इस रिपोर्ट का उल्लेख बाद में करेंगे।

7. इस मामले के तथ्यों को भी यहाँ बताया जाना चाहिए। आई. डी. 1 पर, जब शिकायतकर्ता-गुरु प्रसाद मिश्रा के पिता और भाई अपनी जमीन की सिंचाई कर रहे थे, तो पानी गया प्रसाद मिश्रा से संबंधित बगल के क्षेत्र की ओर बह गया। वर्तमान अपीलार्थी, जो गया प्रसाद मिश्रा का पुत्र है, ने अपने पिता को इसकी सूचना दी और इसके तुरंत बाद गया प्रसाद मिश्रा अपने दो बेटों, गुलाब चंद्र और पवन कुमार (वर्तमान अपीलार्थी) के साथ, और एक 'बाबदीन' लाठी से लैस होकर मौके पर आया और शिकायतकर्ता के पिता और भाई पर हमला करना शुरू कर दिया। 'शोर-शराबा' सुनने के बाद शिकायतकर्ता गांव के कुछ लोगों के साथ मौके पर पहुंचा और आरोपी व्यक्तियों ने उस पर हमला भी किया। इस घटना के परिणामस्वरूप सभी को गंभीर चोटें आईं और अंततः शिकायतकर्ता के भाई गंगा प्रसाद की मौत हो गई। बाराबंकी जिले के सुबेहा पुलिस स्टेशन में 1995 के अपराध के रूप में चार नामित अभियुक्तों के खिलाफ आई. पी. सी. की धारा 307, 504 और 323 के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है। चूंकि शिकायतकर्ता (गंगा प्रसाद) के भाई की उसी दिन मृत्यु हो गई थी, इसलिए प्राथमिकी में धारा 307 जोड़ी गई थी।

8. निस्संदेह, अपीलार्थी हमलावर समूह से संबंधित है और उसने मृतक पर हमला किया था और घायल कर दिया था और अंततः घायल व्यक्तियों में से एक की मौत हो गई थी। यह भी सच है कि वर्तमान अपीलार्थी सहित कुछ हमलावर "लाठियों" से लैस थे। हमने घटना की प्रकृति को दिखाने के लिए इन तथ्यों को रिकॉर्ड पर रखा है। अभियुक्तों ने एक जघन्य अपराध किया है। फिर भी वे कठोर अपराधी नहीं हैं। यह पूर्व नियोजित निर्मम हत्या भी नहीं है।

265

पवन कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और ओआरएस। [सुधांशु धूलिया, जे.] 266

9. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत अपना बयान दर्ज कराते हुए अपीलार्थी की आयु 18 वर्ष के रूप में दर्ज की गई थी और आगे की जांच पर अपीलार्थी ने दावा किया कि अपराध करने के समय उसकी आयु 16 वर्ष से कम थी। प्रासंगिक समय में, किशोर न्याय अधिनियम, 1986 लागू था जहां एक लड़के के मामले में एक किशोर वह था जिसकी आयु सोलह वर्ष पूरी नहीं हुई थी। हालांकि, किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 द्वारा इस आयु को बढ़ाकर अठारह वर्ष कर दिया गया था जैसा कि हम बाद में देखेंगे। मुकदमे के चरण में किशोरावस्था की एक औपचारिक याचिका दायर की गई थी। अपनी याचिका के समर्थन में, अपीलार्थी ने नेशनल इंटर कॉलेज, बाराबंकी के स्कॉलर रजिस्टर को प्रस्तुत किया, जिसमें उसके डी. ओ. बी. को 05.07.1980 के रूप में दर्ज किया गया था, जिसका अर्थ था कि जिस तारीख को अपीलार्थी की आयु 15 वर्ष, 6 महीने और 26 दिन होगी। हालांकि, प्रतिपरीक्षा के दौरान नेशनल इंटर कॉलेज के क्लर्क, जिन्होंने स्कॉलर रजिस्टर तैयार किया था, ने स्वीकार किया कि प्रवेश पूर्व माध्यमिक विद्यालय (जिसे बाद में हाई स्कूल, कामेला के रूप में संदर्भित किया गया) द्वारा जारी स्थानांतरण

प्रमाण पत्र के आधार पर किया गया था, जिसे रिकॉर्ड में नहीं रखा गया था। इसके अलावा, ग्राम पंचायत अधिकारी की जांच की गई जिसने अपीलार्थी का पारिवारिक रजिस्टर प्रस्तुत किया, जिसमें अपीलार्थी का डी. ओ. बी. 1975 दर्ज किया गया था। उनके जन्म के दिन और महीने का उल्लेख इस परिवार रजिस्टर में नहीं किया गया था। किसी भी मामले में, ग्राम पंचायत के परिवार रजिस्टर के अनुसार, अपीलार्थी की आयु नियुक्ति के समय लगभग 20 वर्ष होगी।

इस विरोधाभास को ध्यान में रखते हुए, जिला अस्पताल, बाराबंकी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी की देखरेख में एक अस्थि ऑसिफ़ाई कैशन परीक्षण किया गया था, जहाँ अपीलार्थी की आयु लगभग 19 वर्ष दर्ज की गई थी। इस प्रकार, निचली अदालत द्वारा दिनांक 1 के आदेश द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया कि किशोरता का लाभ अपीलार्थी को नहीं दिया जा सकता है और उसे मुकदमे का सामना करने का निर्देश दिया गया था।

10. अपीलार्थी ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बाराबंकी द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 21.08.1999 के खिलाफ उच्च न्यायालय के समक्ष आपराधिक संशोधन का नेतृत्व किया। उच्च न्यायालय ने 16.09.1999 पर उनके आपराधिक संशोधन को खारिज कर दिया। आपराधिक पुनरीक्षण के चरण में मुकदमा लगभग पूरा हो चुका था और उच्च न्यायालय ने इस तरह के विलंबित चरण में मुकदमे में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 15 एस सी आर।

11. बाराबंकी के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने मुकदमा जारी रखा, जिसमें अपीलार्थी सहित सभी अभियुक्त व्यक्तियों (बाबदीन को छोड़कर) को आई. पी. सी. की धाराओं 302/34 और 307/34 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था, जिसके लिए उन्हें क्रमशः आजीवन कारावास और 7 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी। सह-अभियुक्तों में से एक, बाबदीन की मुकदमे के दौरान 12.12.1998 पर मृत्यु हो गई और उसके खिलाफ कार्यवाही निचली अदालत द्वारा पारित 04.01.1999 के आदेश से समाप्त हो गई।

12. निचली अदालत द्वारा पारित दिनांक 1 के दोषसिद्धि के आदेश के खिलाफ सभी अभियुक्तों ने इलाहाबाद (लखनऊ पीठ) में उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी अपील का नेतृत्व किया। अपील के लंबित रहने के दौरान, अपीलार्थी ने अपनी किशोरता के संबंध में अभिलेख पर अतिरिक्त साक्ष्य रखने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 391 के तहत एक आपराधिक विविध आवेदन का नेतृत्व किया। तदनुसार, अपीलार्थी ने हाई स्कूल, कामेला द्वारा जारी स्थानांतरण प्रमाण पत्र दिनांक 05.07.1995 प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर नेशनल इंटर कॉलेज, बाराबंकी के स्कॉलर रजिस्टर ने अपीलार्थी की आयु 05.07.1980 दर्ज की थी। फिर भी, उच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 1 के आदेश के माध्यम से, अपीलार्थी द्वारा उठाई गई किशोरता की याचिका सहित तीनों अभियुक्तों की आपराधिक अपील को खारिज कर दिया। उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि इस बीच राज्य सरकार ने अन्य दो सह-अभियुक्तों की सजा माफ कर दी है क्योंकि दोनों ने 19 साल से अधिक का

कारावास झेला था। हालाँकि, अपीलार्थी को आत्मसमर्पण करने और अपनी सजा को पूरा करने का निर्देश दिया गया था। किशोरवस्था की याचिका को खारिज करते हुए, उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए कारण इस प्रकार हैं:

“20.....यह निर्विवाद है कि किशोरता की जांच किसी भी स्तर पर की जा सकती है, यदि आरोपी व्यक्ति द्वारा उठाया जाता है। वर्तमान मामले में, अपीलार्थी सं. 3 ने निचली अदालत के समक्ष अपनी किशोरता का मुद्दा उठाया है, जिसे अदालत के गवाहों और परिवार रजिस्टर, रेडियोलॉजिकल रिपोर्ट, सी. एम. ओ. रिपोर्ट और राष्ट्रीय इंटर कॉलेज के स्कॉलर रजिस्टर के माध्यम से रखे गए साक्ष्यों की जांच करने के बाद निपटाया गया था और अदालत द्वारा नीचे दिए गए आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था। चूंकि अपीलार्थी सं. की किशोरता की वर्तमान अपील में कोई अच्छा आधार नहीं लिया गया है। 3. यहां यह उल्लेख करना भी प्रासंगिक है कि 21 अगस्त, 1999 के उपरोक्त आदेश को अपीलार्थी सं. 3 1999 के आपराधिक संशोधन संख्या 271 में, जिसे इस न्यायालय द्वारा दिनांक 16.09.1999 के आदेश के माध्यम से भी खारिज कर दिया गया था।

267

पवन कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और ओआरएस। [सुधांशु धूलिया, जे.] 268

अपीलार्थी मुकदमे और अपील की अवधि के दौरान ज्यादातर जमानत पर रहा था, लेकिन उच्च न्यायालय के फैसले के परिणामस्वरूप, उसने 29.07.2019 पर आत्मसमर्पण कर दिया और तब से वह जेल में है। अब तक वह लगभग साढ़े चार साल की सजा काट चुका है।

13. वर्तमान मामले में अपीलार्थी की विशेष शिकायत यह है कि निचली अदालत ने नेशनल इंटर कॉलेज, बाराबंकी के स्कॉलर रजिस्टर की सत्यता को स्वीकार नहीं किया था क्योंकि यह हाई स्कूल, कामेला द्वारा जारी स्थानांतरण प्रमाण पत्र पर आधारित था जो रिकॉर्ड में नहीं था। हालाँकि, जब अपीलार्थी ने इसे रिकॉर्ड पर रखा था, तो सीआरपीसी की धारा 391 के तहत अपने आवेदन में, उसी पर विचार किया जाना चाहिए था।

14. इस न्यायालय ने दिनांक 1 का आदेश पारित किया और अतिरिक्त साक्ष्य की सराहना करने के बाद, निचली अदालत को अपीलार्थी द्वारा उठाई गई किशोरता की याचिका पर एक नई रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। इस न्यायालय का दिनांकित 08.10.2021 आदेश इस प्रकार है:-

“...याचिकाकर्ता के विद्वान वकील अतिरिक्त दस्तावेजों के संदर्भ में प्रस्तुत करते हैं कि सीएम No.96164/2012 को Cr.P.C की धारा 391 के तहत हस्तांतरण प्रमाण पत्र के रूप में अतिरिक्त दस्तावेजों को रिकॉर्ड में लेने के लिए प्रेरित किया गया था, जिसमें आवेदक की जन्म तिथि 05.07.1980 के रूप में दिखाई गई थी। उन्होंने इलाहाबाद, लखनऊ पीठ में उच्च न्यायालय के समक्ष 29.01.2020 पर आवेदनों को सूचीबद्ध करने के संबंध में एक दस्तावेज का भी नेतृत्व किया है ताकि निपटान के लिए 01.11.2012 पर लंबित ऐसे आवेदन को दिखाया जा सके। इस प्रकार, यह उनका निवेदन है कि किशोरता की याचिका के समर्थन में अतिरिक्त दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर लाने की मांग करने वाले आवेदन पर कभी विचार नहीं किया गया।

विवादित आदेश के पैरा 20 में हमारा ध्यान आकर्षित किया गया है जो यह मानता है कि किशोरता की याचिका निचली अदालत के समक्ष उठाई गई थी और दिनांक 21.08.1999 के आदेश द्वारा खारिज कर दी गई थी। यह देखा गया है कि अपीलार्थी संख्या 3 की किशोरता की अपील में कोई आधार नहीं लिया गया है, संभवतः इसलिए कि एक आपराधिक संशोधन का नेतृत्व किया गया था, दिनांकित 21.08.1999 के आदेश के खिलाफ आपराधिक संशोधन No.271/1999 था जिसे उच्च न्यायालय ने भी 16.09.1999 पर खारिज कर दिया था।

यह सही है कि उच्च न्यायालय के समक्ष अपील के आधार पर किशोरता की कोई याचिका नहीं उठाई गई थी। याचिकाकर्ता की याचिका पूर्वनिर्धारित है

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 15 एस सी आर।

केवल सी. एम. No.96164/2012 एफ. आई. ने अतिरिक्त आधारों के आधार पर किशोरता की याचिका उठाने की मांग की।

उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, हमारा विचार है कि अभिलेख पर लाए गए अतिरिक्त दस्तावेजों की जांच की जानी चाहिए थी और उन्हें इस बात की जांच की आवश्यकता है कि क्या याचिकाकर्ता किशोरावस्था की याचिका दायर कर सकता है।

इस प्रकार, हम याचिकाकर्ता द्वारा स्थानांतरण प्रमाण पत्र के रूप में प्रस्तुत किए जाने के लिए मांगे गए प्रमाण पत्रों के आधार पर साक्ष्य दर्ज करने के लिए मामले को निचली अदालत को भेजते हैं और इस अदालत को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं।”

15. तदनुसार, बाराबंकी के प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने इस न्यायालय के आदेश के अनुपालन में 28.02.2022 दिनांकित एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इस रिपोर्ट के अनुसार, अपीलार्थी के डी. ओ. बी. को परिवार रजिस्टर में दर्ज किया जाना चाहिए, जो कि 1975 है और इसलिए अपराध के समय वह किशोर नहीं था। ट्रायल कोर्ट ने नेशनल इंटर कॉलेज, बाराबंकी के स्कॉलर रजिस्टर की प्रविष्टि की जांच की थी, जहाँ अपीलार्थी का डी. ओ. बी. 05.07.1980 था। स्कॉलर रजिस्टर में दर्ज किया गया डी. ओ. बी. हाई स्कूल, कामेला द्वारा जारी किए गए हस्तांतरण प्रमाण पत्र पर आधारित था, जिसे अपीलार्थी द्वारा भी रिकॉर्ड में रखा गया था, हालांकि, हाई स्कूल, कामेला के मूल रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किए गए थे और फैमिली रजिस्टर और बोन ऑसिफ़ाई कैशन टेस्ट का सबूत भी अपीलार्थी के खिलाफ था। इन साक्ष्यों की तुलना करके, विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी के डी. ओ. बी. को 1975 घोषित किया और परिणामस्वरूप, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की दिनांक 1 की रिपोर्ट में घोषणा की गई कि अपीलार्थी कथित अपराध करने की तारीख को किशोर नहीं था।

16. इस न्यायालय द्वारा दिनांकित 28.02.2022 रिपोर्ट की जांच की गई थी और यह महसूस किया गया था कि निचली अदालत ने अपीलार्थी के स्थानांतरण प्रमाण पत्र की जांच नहीं की थी, जिसे

उसके समक्ष रखा गया था। इसलिए, इस न्यायालय द्वारा किशोरता के पहलू पर नए सिरे से विचार करने के लिए इस मुद्दे को बाराबंकी के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश को वापस भेज दिया गया और एक अन्य रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया। इस न्यायालय का दिनांकित 15.07.2022 आदेश इस प्रकार है:

“हमने बाराबंकी के प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की दिनांकित 28.02.2022 की रिपोर्ट का अवलोकन किया है, लेकिन वह रिपोर्ट 269 का विश्लेषण नहीं करती है।

पवन कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और ओआरएस। [सुधांशु धूलिया, जे.] 270

हस्तांतरण प्रमाण पत्र जो वह दस्तावेज है जिस पर याचिकाकर्ता द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष एक अतिरिक्त दस्तावेज के रूप में भरोसा करने की मांग की गई थी, जिसके लिए उसके समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया गया था। इस पर विचार करने की आवश्यकता है।

निर्विवाद रूप से, अन्य दस्तावेज याचिकाकर्ता के पक्ष में नहीं जाते हैं और आयु को 16 वर्ष से अधिक बताते हैं।

ऐसा प्रतीत होता है कि जिला न्यायाधीश ने दस्तावेज या इसकी सत्यता का विश्लेषण नहीं किया है, जिस पर विचार करने की आवश्यकता है।

इस प्रकार, हमारे पास हमारे आदेश के उद्देश्य की सराहना करने और उस ओर से जांच करने और फिर हमें एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए बाराबंकी के जिला न्यायाधीश को मामले को वापस भेजने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।

याचिकाकर्ता के विद्वान वकील का कहना है कि मूल दस्तावेज याचिकाकर्ता के कब्जे में है और जिला न्यायाधीश के समक्ष एक शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।

इस आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी चाहिए।

प्राप्त की जा रही जाँच रिपोर्ट की सूची बनाएँ।”

17. उक्त आदेश के अनुपालन में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बाराबंकी ने 28.09.2022 दिनांकित एक नई रिपोर्ट का नेतृत्व किया। इस रिपोर्ट में डी. ओ. बी. को 05.07.1980 के रूप में निर्धारित किया गया है। यदि यह रिपोर्ट स्वीकार की जाती है तो अपीलार्थी अपराध के समय 15 वर्ष, 4 महीने और 26 दिन का था जो 01.12.1995 पर हुआ था। रिपोर्ट का प्रासंगिक अवलोकन निम्नानुसार दिया गया है:

“18. अंत में, यह विनम्रता से प्रस्तुत किया जाता है कि पवन कुमार की जन्म तिथि, प्रथम विद्यालय से लेकर अंतिम विद्यालय तक, जहां उन्होंने पढ़ाई की है, प्रत्येक विद्यालय के प्रासंगिक दस्तावेजों के अनुसार वही रही है, यानी 05.07.1980 (अनुलग्नक-1) जो पूर्व-

माध्यमिक विद्यालय कमला के प्राचार्य द्वारा जारी की गई है, जिसमें उनकी जन्म तिथि 05.07.1980 के रूप में उल्लिखित है, पवन कुमार की जन्म तिथि के साथ मेल खाती है जैसा कि प्रत्येक विद्यालय के प्रासंगिक रजिस्ट्रारों/दस्तावेजों में उल्लेख किया गया है, जहां याचिकाकर्ता ने अपनी शिक्षा के अलग-अलग चरणों में अध्ययन किया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 15 एस सी आर।

18. अपीलार्थी की ओर से हमने एल. डी. सुना है। अधिवक्ता सुश्री वंशजा शुक्ला और उत्तर प्रदेश राज्य के लिए अतिरिक्त महाधिवक्ता (ए. ए. जी.) विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अर्धेन्दुमाउली कुमार प्रसाद। इससे पहले कि हम दोनों पक्षों द्वारा की गई दलीलों पर विचार करें, कुछ प्रासंगिक वैधानिक प्रावधानों की जांच करना विवेकपूर्ण होगा।

19. किशोर की आयु अपराध के कथित अपराध की तारीख के आधार पर निर्धारित की जानी चाहिए। वर्तमान घटना जिसमें अपीलार्थी अन्य बातों के साथ-साथ आई. पी. सी. की धारा 307 के तहत एक अपराध में शामिल था, कथित तौर पर 01.12.1995 पर की गई थी। प्रासंगिक समय पर, किशोरों के लिए लागू अधिनियम को किशोर न्याय अधिनियम, 1986 के रूप में जाना जाता था। उक्त अधिनियम में, धारा 2 (एच) ने किशोर को निम्नानुसार परिभाषित किया है:

“(ज) "किशोर" से ऐसा लड़का अभिप्रेत है जिसकी आयु सोलह वर्ष की नहीं हुई है या ऐसी लड़की है जिसकी आयु अठारह वर्ष की नहीं हुई है।

वर्तमान अपीलार्थी के मामले में, प्रासंगिक आयु स्पष्ट रूप से 16 वर्ष थी। किशोर होने के लिए, उसे 16 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं करनी चाहिए थी। जब तक सत्र अदालत ने अपीलार्थी को अन्य बातों के साथ-साथ आई. पी. सी. की धारा 302 के तहत दोषी नहीं ठहराया, तब तक कानून का उपरोक्त प्रावधान लागू था। ट्रायल कोर्ट का फैसला 11.02.2000 का है।

20. इस बीच, उच्च न्यायालय के समक्ष अपील के लंबित रहने के दौरान, किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 1986 के अधिनियम को निरस्त करते हुए, अन्य बातों के साथ-साथ आई. डी. 1 पर लागू हुआ। 2000 के अधिनियम में कुछ बड़े बदलाव किए गए थे। पहला और सबसे महत्वपूर्ण स्वयं किशोर की अवज्ञा थी। धारा 2 (के) ने "किशोर" को निम्नानुसार परिभाषित किया:

“(ट) "किशोर" या "बच्चा" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने अठारह वर्ष की आयु पूरी नहीं की है।

धारा 2 (1) के तहत "कानून के साथ जुड़ाव में किशोर" की अवज्ञा, जिसे 2006 में संशोधित किया गया था, इस प्रकार है:

“(एल) "कानून के साथ टकराव में किशोर" का अर्थ है एक किशोर जिसने अपराध किया है और जिसने इस तरह के अपराध की तारीख को अठारहवें वर्ष की आयु पूरी नहीं की है।

1 2006 के संशोधन से पहले, यह इस प्रकार है: (एल) "कानून के साथ टकराव में किशोर" का अर्थ है एक किशोर जिसने अपराध किया है। (डब्ल्यू. ई. एफ. 22.08.2006)

271

पवन कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और ओआरएस। [सुधांशु धूलिया, जे.] 272 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 15 एस. सी. आर.

1986 के अधिनियम ने किशोरावस्था के उनके दावे के संबंध में एक लड़के और एक लड़की के बीच अंतर किया। लड़कों के मामले में यह 16 वर्ष थी, जबकि लड़कियों के मामले में यह 18 वर्ष थी। 2000 के अधिनियम ने न केवल इस भेद को हटा दिया बल्कि किशोरावस्था की आयु को 16 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष कर दिया।

21. 4 की बहुमत की राय: 1 के संविधान पीठ के निर्णय में

इस न्यायालय ने प्रताप सिंह बनाम झारखंड राज्य और एक अन्य (2005) 3 एस. सी. सी. 551 के मामले में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

“(क) किशोर की आयु के निर्धारण के लिए गणना की तारीख मृत्यु की तारीख है न कि उस तारीख को जब उसे प्राधिकरण या अदालत में पेश किया जाता है।

(ख) 2000 का अधिनियम 1986 के अधिनियम के तहत शुरू की गई किसी भी अदालत/प्राधिकरण में लंबित कार्यवाही में लागू होगा और 2000 के अधिनियम के लागू होने पर लंबित है और व्यक्ति ने 01.04.2001 पर 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की थी।”

प्रताप सिंह (ऊपर) में निर्णय के बाद 2000 के अधिनियम में कुछ संशोधन किए गए। धारा 7 ए पेश की गई थी जो इस प्रकार है:

“[7-ए. किसी भी न्यायालय के समक्ष किशोरता का दावा किए जाने पर प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए।—(1) जब भी किसी न्यायालय या न्यायालय के समक्ष किशोरता का दावा किया जाता है, तो यह राय होती है कि कोई अभियुक्त व्यक्ति अपराध करने की तारीख को किशोर था, न्यायालय एक जांच करेगा, ऐसा साक्ष्य लेगा जो आवश्यक हो (लेकिन एक साक्ष्य नहीं) ताकि ऐसे व्यक्ति की उम्र निर्धारित की जा सके, और एक निर्णय दर्ज करेगा कि वह व्यक्ति किशोर है या बच्चा है या नहीं, जिसमें उसकी उम्र लगभग हो सकती है:

बशर्ते कि किशोरता का दावा किसी भी न्यायालय के समक्ष उठाया जा सकता है और मामले के अंतिम निपटारे के बाद भी इसे किसी भी स्तर पर मान्यता दी जाएगी और इस तरह के दावे का निर्धारण इस अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों में निहित प्रावधानों के संदर्भ में किया जाएगा, भले ही किशोर इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को या उससे पहले ऐसा होना बंद कर चुका हो।

(2) यदि अदालत किसी व्यक्ति को उप-धारा (1) के तहत अपराध करने की तारीख को किशोर होने का आदेश देती है, तो वह किशोर को किशोर के पास भेजेगी।

उचित आदेश पारित करने के लिए बोर्ड, और अदालत द्वारा पारित सजा, यदि कोई हो, का कोई प्रभाव नहीं माना जाएगा।]”

“कानून के साथ जुड़ाव में किशोर” की अवज्ञा को भी संशोधित किया गया था जिसका हम पहले ही उल्लेख कर चुके हैं।

22. इसके अलावा, किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) नियम, 2007 के रूप में जाने जाने वाले व्यापक नियम भी बनाए गए थे, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ किशोर की उम्र के निर्धारण के लिए एक विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित की गई थी। उक्त नियमों का नियम 12 इस प्रकार है:

“12. आयु के निर्धारण में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया-(1) कानून के साथ संघर्ष में किसी बच्चे या किशोर से संबंधित प्रत्येक मामले में, अदालत या बोर्ड या जैसा भी मामला हो, इन नियमों के नियम 19 में निर्दिष्ट समिति उस उद्देश्य के लिए आवेदन करने की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर ऐसे किशोर या बच्चे या कानून के साथ संघर्ष में किशोर की आयु निर्धारित करेगी।

(2) न्यायालय या बोर्ड या समिति, जैसा भी मामला हो, किशोर या बच्चे या जैसा भी मामला हो, कानून के साथ संघर्ष में किशोर की किशोरता या अन्यथा का निर्णय करेगी, प्रथम दृष्टया शारीरिक उपस्थिति या दस्तावेजों के आधार पर, यदि उपलब्ध हो, और उसे अवलोकन गृह या जेल में भेज देगी।

(3) कानून के साथ किसी बच्चे या किशोर के टकराव से संबंधित प्रत्येक मामले में, आयु निर्धारण जांच अदालत या बोर्ड या, जैसा भी मामला हो, समिति द्वारा साक्ष्य प्राप्त करके की जाएगी -

(ए) (i) मैट्रिक या समकक्ष प्रमाण पत्र, यदि उपलब्ध हो; और जिसके अभाव में;

((ii) स्कूल (प्ले स्कूल के अलावा) से जन्म प्रमाण पत्र की तारीख जिसमें पहले भाग लिया गया था; और जिसके अभाव में;

((ग) किसी निगम या नगरपालिका प्राधिकरण या पंचायत द्वारा दिया गया जन्म प्रमाण पत्र।

(बी) और केवल उपरोक्त खंड (ए) के (i), (ii) या (iii) में से किसी एक के अभाव में, विधिवत गठित चिकित्सा बोर्ड से चिकित्सा राय ली जाएगी, जो किशोर या बच्चे की उम्र घोषित करेगा।
सटीक मामले में 273

आयु का निर्धारण नहीं किया जा सकता है, न्यायालय या बोर्ड या, जैसा भी मामला हो, समिति, उनके द्वारा दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए, यदि आवश्यक समझा जाए, तो एक वर्ष के अंतराल के भीतर कम उम्र पर विचार करके बच्चे या किशोर को लाभ दे सकती है। और, ऐसे मामले में आदेश पारित करते समय, जो भी मामला हो, उपलब्ध साक्ष्य या चिकित्सा राय पर विचार करने के बाद, उसकी उम्र और खंड (ए) (आई), (बी), (आई) में से किसी में विनिर्दिष्ट साक्ष्य में से किसी एक के संबंध में एक निर्णय दर्ज करेगा या जिसके अभाव में, खंड (बी) ऐसे बच्चे या कानून के साथ संघर्ष में किशोर के संबंध में उम्र का निर्णायक प्रमाण होगा। (4) यदि उपनियम (3) में विनिर्दिष्ट किसी निर्णायक प्रमाण के आधार पर किसी किशोर या बच्चे या कानून के साथ संलग्न किशोर की आयु 18 वर्ष से कम पाई जाती है, तो न्यायालय या बोर्ड या समिति, जैसा भी मामला हो, अधिनियम और इन नियमों के प्रयोजन के लिए आयु और किशोरता की स्थिति या अन्यथा घोषित करने का आदेश लिखित रूप में पारित करेगी और आदेश की एक प्रति ऐसे किशोर या संबंधित व्यक्ति को दी जाएगी।

(5) अधिनियम की धारा 7-ए, धारा 64 और इन नियमों के संदर्भ में आगे की जांच या अन्यथा आवश्यक होने के अलावा, अदालत या बोर्ड द्वारा इस नियम के उप-नियम (3) में निर्दिष्ट प्रमाण पत्र या किसी अन्य दस्तावेजी प्रमाण की जांच और प्राप्त करने के बाद आगे कोई जांच नहीं की जाएगी।

(6) इस नियम में निहित प्रावधान उन मामलों के निपटारे पर भी लागू होंगे, जहां उपनियम (3) और अधिनियम में निहित प्रावधानों के अनुसार किशोरता की स्थिति का निर्धारण नहीं किया गया है, जिसमें कानून के साथ किशोर के हित में उचित आदेश पारित करने के लिए अधिनियम के तहत सजा के वितरण की आवश्यकता होती है।”

(जोर दिया गया)

23. हालाँकि, इलाहाबाद उच्च न्यायालय (लखनऊ पीठ) के समक्ष अपील के लंबित रहने के दौरान, किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 2000 अधिनियम को निरस्त करते हुए लागू हो गया था और 2015 अधिनियम के बाद, "कानून के साथ संघर्ष में किशोर" से संबंधित व्यापक और विस्तृत मॉडल नियम, जिन्हें किशोर न्याय (देखभाल) के रूप में जाना जाता है, लागू हो गए थे।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 15 एस सी आर।

और बच्चों का संरक्षण) मॉडल नियम (इसके बाद 'जेजे नियम, 2016' के रूप में संदर्भित) निर्धारित किए गए थे। जेजे नियम, 2016 का नियम 94 भी 2007 के नियमों को निरस्त करता है।

“94. निरस्त करें।—किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) नियम, 2007 अधिसूचना दिनांक 26 अक्टूबर, 2007 को जी. एस. आर. 679 (ई) द्वारा संपादित और 26 दिसंबर, 2011 को जी. एस. आर. 903 (ई) द्वारा संशोधित, इसके द्वारा निरस्त किए जाते हैं:

बशर्ते कि इन नियमों की अधिसूचना से पहले 2007 के नियमों के प्रावधानों के तहत की गई कोई कार्यवाही या आदेश, जहां तक यह इन नियमों के प्रावधानों के साथ असंगत नहीं है, इन नियमों के प्रावधानों के तहत किया गया या जारी किया गया माना जाएगा।”

फिर भी, 2015 के अधिनियम में एक महत्वपूर्ण धारा है, जो धारा 25 है, जो इस प्रकार है:

“25. लंबित मामलों के संबंध में विशेष प्रावधान।—इस अधिनियम में कुछ भी निहित होने के बावजूद, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को किसी भी बोर्ड या अदालत के समक्ष लंबित किसी बच्चे के संबंध में सभी कार्यवाहियों को उस बोर्ड या अदालत में जारी रखा जाएगा जैसे कि यह अधिनियम अधिनियमित नहीं किया गया था।”

24. सत्य देव उर्फ भूरे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2020) 10

एस. सी. सी. 555, 2015 अधिनियम की धारा 25 के प्रभाव को विस्तार से समझाया गया है। “सभी कार्यवाहियां” शब्द का अर्थ न केवल मुकदमा होगा, बल्कि इसमें पुनरीक्षण या अपील भी शामिल होगी। नतीजतन, चूंकि 2015 के अधिनियम के प्रारंभ में वर्तमान अपीलार्थी की कार्यवाही उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित थी (अपील का निर्णय 07.05.2019 पर किया गया था), इसलिए 2015 के अधिनियम की धारा 25 को आकर्षित किया जाएगा। इसका मतलब यह होगा कि वर्तमान मामले में जो लागू होगा वह 2007 के नियम होंगे, जिसमें नियम 12 भी शामिल है जिसका हमने ऊपर उल्लेख किया है। इस पहलू की भी जांच की गई है।

हरिराम बनाम राजस्थान राज्य और एक अन्य (2009) 13 एस. सी. सी. 211 में बहुत विस्तार से।

25. दूसरे शब्दों में, अपीलार्थी की आयु के निर्धारण के संबंध में वर्तमान मामले में जो लागू होगा वह 2000 का अधिनियम और उसमें बनाए गए नियम यानी 2007 के नियम होंगे। वर्तमान मामले में नियम 12 का एक महत्वपूर्ण संबंध है, जिसका हम पहले ही उल्लेख कर चुके हैं। 2007 के नियमों के तहत पहला दस्तावेज़ जिस पर 275 के लिए विचार किया जाना है

पवन कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और ओआरएस। [सुधांशु धूलिया, जे.] 276

किशोरता का दावा करने वाले व्यक्ति की आयु का निर्धारण मैट्रिक प्रमाण पत्र है और यहां तय स्थिति यह है कि अपीलार्थी ने अपना मैट्रिक नहीं किया था और अपीलार्थी के पास इस तरह का प्रमाण पत्र होने का कोई सवाल ही नहीं है। दूसरा दस्तावेज़ जो तब प्रासंगिक हो जाता है, वह है प्राथमिक विद्यालय, भातगवन का स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र, जो उनकी आयु का प्रमाण पत्र भी है।

26. एक महत्वपूर्ण पहलू जिसे उच्च न्यायालय के साथ-साथ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अपनी रिपोर्ट में याद किया था, वह था 2007 के नियमों के नियम 12 के प्रावधान जो वर्तमान मामले में उम्र के निर्धारण के लिए लागू होते हैं और विशेष रूप से, नियम 12 के उप-नियम (3) (बी) के तहत प्रावधान जो कहता है कि "मामले में सटीक मूल्यांकन"

आयु की गणना नहीं की जा सकती है, न्यायालय या बोर्ड या, जैसा भी मामला हो, समिति उनके द्वारा दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए, यदि आवश्यक समझा जाए तो बच्चे या किशोर को एक वर्ष के अंतराल के भीतर कम आयु पर विचार करके लाभ दे सकती है। हम विचारशील हैं कि वर्तमान मामले में, यह मानते हुए भी कि अपीलार्थी की आयु के संबंध में कुछ परस्पर विरोधी पहलू थे, लेकिन चूंकि आयु का अंतर इतना कम था, उपरोक्त लाभ अपीलार्थी को दिया जाना चाहिए था।

27. 28.09.2022 की रिपोर्ट के अवलोकन से निम्नलिखित तथ्य सामने आते हैं। अपीलार्थी ने अपने जीवनकाल में तीन विद्यालयों में पढ़ाई की थी। पहला बाराबंकी के भातगवन में प्राथमिक विद्यालय था। दूसरा हाई स्कूल, कामेला, बाराबंकी और तीसरा नेशनल इंटर कॉलेज, राणापुर, बाराबंकी (कालानुक्रमिक क्रम में) था। स्वीकार की गई स्थिति यह है कि अपीलार्थी ने वर्ष 1995 में घटना के समय अपनी मैट्रिक की पढ़ाई पूरी नहीं की थी और इसलिए वह अधिकारियों के सामने केवल राष्ट्रीय अंतर महाविद्यालय के प्रवेश रजिस्टर और कॉलेज के स्थानांतरण प्रमाण पत्र की प्रति रख सकता था, जिसमें उसकी जन्म तिथि 05.07.1980 दर्ज की गई थी। अपीलार्थी ने नेशनल इंटर कॉलेज, बाराबंकी में 25.07.1995 पर प्रवेश लिया और उसके बाद चूंकि वह अपनी ट्यूशन फीस का भुगतान नहीं कर सका, इसलिए उसका नाम 30.12.1995 पर कॉलेज रजिस्टर से एक छात्र के रूप में हटा दिया गया। उक्त विद्यालय में पंजीकृत जन्म तिथि 05.07.1980 थी। हालांकि, जन्म तिथि को पहले की तारीखों में सही जन्म तिथि नहीं माना गया था, क्योंकि अपीलार्थी ने जांच अधिकारी के समक्ष कोई प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया था, जिसके आधार पर

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 15 एस सी आर।

जन्म तिथि अर्थात् 05.07.1980 राष्ट्रीय अंतर महाविद्यालय के स्कूल रजिस्टर में पंजीकृत थी। बाद की जांच में हालांकि उन्होंने पहले के स्कूल रजिस्टर से स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया, लेकिन जांच अधिकारी की संतुष्टि के लिए इसकी पुष्टि नहीं की जा सकी और परिणामस्वरूप अपीलार्थी (05.07.1980) द्वारा दावा की गई जन्म तिथि को स्वीकार नहीं किया गया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बाराबंकी द्वारा दिनांक 28.09.2022 पर की गई नवीनतम जांच में, अपीलार्थी ने उन तीनों विद्यालयों के प्रासंगिक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए थे जिनमें उसने भाग लिया था।

28. सबसे पहले प्राथमिक विद्यालय भातगवन, बाराबंकी का प्रमाण पत्र है, जो अपीलार्थी द्वारा भाग लिया जाने वाला पहला विद्यालय था और जहां उसकी जन्म तिथि दर्ज की गई थी, वह 05.07.1980 थी। सत्र न्यायाधीश ने स्वयं स्कूल के रजिस्टर को देखा है और स्कूल के रजिस्टर की

सत्यता पर विचार करने के लिए स्कूल के प्राचार्य का बयान लिया है। जिन अन्य दस्तावेजों की जांच की गई, उनमें हाई स्कूल, कमला और नेशनल इंटर कॉलेज के स्थानांतरण प्रमाण पत्र और उक्त स्कूलों के संबंधित रजिस्टर शामिल थे। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जिन्होंने अपने समक्ष रखे गए इनमें से किसी भी दस्तावेज की सत्यता पर संदेह नहीं किया, ने एक स्पष्ट आदेश दिया है कि जो सुसंगत रहा है, वह यह है कि उन्होंने जिन सभी स्कूलों में भाग लिया है, उनकी जन्म तिथि वही है यानी 05.07.1980।

29. हालांकि, दो प्रमाण पत्र हैं जिन पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में विचार नहीं किया है। पहला परिवार रजिस्टर है जिसमें अपीलार्थी का जन्म वर्ष 1975 दर्ज किया गया है। जैसा कि संबंधित ग्राम पंचायत कार्यालय द्वारा अपदस्थ किया गया है, परिवार रजिस्टर में जन्म की कोई सटीक तिथि दर्ज नहीं है और जो दर्ज किया गया है, वह यह है कि अपीलार्थी का जन्म वर्ष 1975 में हुआ था। फिर भी इस प्रमाण पत्र का वही प्रामाणिक मूल्य नहीं होगा जो वर्तमान मामले में स्कूल प्रमाण पत्र का है। इसके अलावा, प्रविष्टि भी एक सटीक प्रविष्टि नहीं है। 2007 के नियमों (यानी नियम 12) के तहत, स्कूल प्रमाण पत्रों को पंचायत रजिस्टर की तुलना में अधिक महत्व दिया जाता है। अपीलार्थी द्वारा भाग लिए गए प्रथम विद्यालय का विद्यालय छोड़ने वाला प्रमाण पत्र जिसमें प्राथमिक विद्यालय, भातगवन शामिल है, एक प्रमाण पत्र होगा जिस पर विचार किया जाना चाहिए और प्रमाण पत्र अपीलार्थी की आयु के निर्धारण के लिए साक्ष्य का एक वैध प्रमाण है। [शाह नवाज

बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य (2011) 13 एस. सी. सी. 7512]। दूसरा।

2 अनुच्छेद 24-277

पवन कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और ओआरएस। [सुधांशु धूलिया, जे.] 278 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 15 एस. सी. आर.

सर्टिफ़ाई केट अपीलार्थी की मेडिकल रिपोर्ट है अर्थात्, 05.02.1996 पर आयोजित बोन ऑसिफ़ाई कैशन टेस्ट, जो कथित घटना के लगभग दो महीने बाद है जहाँ परीक्षण के सर्टिफ़ाई केट से पता चलता है कि वह लगभग 19 वर्ष का था। परीक्षण का संचालन करने वाले रेडियोलॉजिस्ट (सी. डब्ल्यू.-3) की परीक्षण में जांच की गई, बचाव पक्ष द्वारा रिपोर्ट की सत्यता के बारे में पूछे जाने पर, उन्होंने कहा कि हालांकि उन्होंने अपीलार्थी की जांच की थी और अस्थि ऑसिफ़ी कैशन परीक्षण किया था, लेकिन उन्होंने सटीक वर्ष यानी अपीलार्थी की आयु 19 वर्ष नहीं दी थी। उनके अनुसार यह मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सी. एम. ओ.) द्वारा किया गया है। मुकदमे में सी. एम. ओ. से कभी पूछताछ नहीं की गई। किसी भी मामले में, हड्डी ऑसिफ़ाई कैटायन परीक्षण, जो मुख्य रूप से उम्र निर्धारित करने के लिए किया जाता है, सटीक उम्र नहीं देता है, लेकिन सबसे अच्छा अनुमान है।

30. इसके अलावा, यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि बोन ओस्सिफी कैशन टेस्ट पर आधारित चिकित्सा राय पूरी तरह से सटीक नहीं है। इस मामले में यह अदालत

विनोद कटारा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2022 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 1204 ने माना है कि

निम्नलिखित:

60. हड्डी ऑसिफ़ाई कैटायन परीक्षण एक सटीक विज्ञान नहीं है जो हमें व्यक्ति की सटीक उम्र प्रदान कर सकता है। जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, हड्डियों और कंकाल संरचनाओं की विकास दर जैसी व्यक्तिगत विशेषताएं इस विधि की सटीकता को प्रभावित कर सकती हैं। इस न्यायालय ने राम सुरेश सिंह बनाम प्रभात सिंह, (2009) 6 एस. सी. सी. 681 में टिप्पणी की है: (2010) 2 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 1194 और ज्योति प्रकाश राय बनाम बिहार राज्य, (2008) 15 एस. सी. सी. 223: (2009) 3 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 796, कि ऑसिफ़ाई कैटायन परीक्षण आयु निर्धारण के लिए निर्णायक नहीं है क्योंकि यह व्यक्ति की सटीक आयु का खुलासा नहीं करता है, लेकिन रेडियोलॉजिकल परीक्षा आयु सीमा के दोनों ओर दो साल का अंतर छोड़ती है जैसा कि परीक्षण द्वारा निर्धारित किया गया है चाहे कई जोड़ों का ऑसिफ़ाई कैटायन परीक्षण किया गया हो। भारत में अदालतों ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि तीस साल की उम्र के बाद आयु निर्धारण के लिए ऑसिफ़ाई कैशन परीक्षण पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। यह सामान्य बात है कि आयु के निर्धारण के लिए प्रमाण का मानक संभावना की डिग्री है और उचित संदेह से परे प्रमाण नहीं है।

31. किशोरावस्था के मामले में जहां दो विचार संभव हैं, इस न्यायालय ने माना है कि एक उदार दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। यह स्थिति इस न्यायालय द्वारा अर्नीत दास बनाम बिहार राज्य (2000) 5 एस. सी. सी. 488 के मामले में निर्धारित की गई थी, जहाँ यह अभिनिर्धारित किया गया था कि:

“19.....

((ii) इस दलील के समर्थन में अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य की सराहना करते हुए कि वह एक किशोर था, एक अति-तकनीकी दृष्टिकोण नहीं अपनाया जाना चाहिए और यदि एक ही साक्ष्य पर दो विचार संभव हो सकते हैं, तो अदालत को अभियुक्त को सीमावर्ती मामलों में किशोर ठहराने के पक्ष में झुकना चाहिए; और

एक उदार दृष्टिकोण अपनाने और किशोरावस्था के लाभ को बढ़ाने के बारे में इस प्रस्ताव को इस न्यायालय द्वारा मुकर्ब और अन्य जैसे कई बाद के फैसलों में दोहराया गया है।

उत्तर प्रदेश राज्य (2017) 2 एस. सी. सी. 210, अश्विनी कुमार सक्सेना बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2012) 9 एस. सी. सी. 7503 के साथ-साथ ऋषिपाल सिंह सोलंकी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2022) 8 एस. सी. सी. 602 जो इस प्रकार समाप्त हुआ:

पैरा 33.8 में निम्नलिखित है:

33.8. यदि एक ही साक्ष्य पर दो विचार संभव हैं, तो अदालत को आरोपी को सीमावर्ती मामलों में किशोर ठहराने के पक्ष में झुकना चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए है कि जेजे अधिनियम, 2015 का लाभ कानून के साथ संघर्ष में किशोर पर लागू किया जाए। साथ ही, अदालत को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि गंभीर अपराध करने के बाद सजा से बचने के लिए व्यक्तियों द्वारा जेजे अधिनियम, 2015 का दुरुपयोग न किया जाए।

32. भले ही अपीलार्थी की आयु 19 वर्ष दिखाने वाली चिकित्सा रिपोर्ट को सही माना जाए, फिर भी ऐसे मामले में जहां उम्र का सटीक आकलन संभव नहीं था, हमारी सुविचारित राय में आई. सी. टी. आई. रिपोर्टों और दस्तावेजों को मिलाकर, नियम 12 के उप-नियम 3 (बी) में दिया गया प्रावधान लागू होगा और न्यायालय को वर्तमान मामले में अपीलार्थी को एक वर्ष का लाभ देना चाहिए था।

नतीजतन, हम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बाराबंकी दिनांकित 28.09.2022 की रिपोर्ट को स्वीकार करते हैं और घोषणा करते हैं कि अपीलार्थी अपराध करने की तारीख यानी 01.12.1995 पर नाबालिग था।

33. अन्य दो सह-अभियुक्तों, गया प्रसाद मिश्रा और गुलाब चंद्र को दोषी ठहराया गया है और अन्य बातों के साथ-साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। हालाँकि दोनों को राज्य द्वारा समय से पहले रिहा कर दिया गया है

3 पैरा 13 279

पवन कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और ओआरएस। [सुधांशु धूलिया, जे।]

सरकार अपनी क्षमा नीति के तहत, फिर भी तथ्य यह है कि उन्हें (अपीलार्थी के साथ) धारा 302/34 और 307/34 के तहत मुकदमे में निचली अदालत के साथ-साथ पूरे साक्ष्य की विस्तार से जांच करने के बाद अपील में उच्च न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया था। वर्तमान अपीलार्थी को सौंपी गई भूमिका अन्य दो अभियुक्तों को सौंपी गई भूमिका से अलग नहीं है, जिन्हें आई. पी. सी. की धारा 34 के साथ धारा 302 और 307 के तहत दोषी ठहराया गया था। यह बिल्कुल वही भूमिका है और स्पष्ट रूप से भारतीय दंड संहिता की धारा 34 भी आकर्षित करती है। हम पहले ही अपीलार्थी को किशोर घोषित कर चुके हैं, लेकिन अपीलार्थी के खिलाफ दोषसिद्धि का आदेश भी है, जो अभियोजन पक्ष द्वारा अन्य दो अभियुक्तों और वर्तमान अपीलार्थी के खिलाफ रखे गए साक्ष्य पर आधारित है, जो सामान्य है। इसलिए वर्तमान अपीलार्थी के लिए अन्य दो अभियुक्तों को उनकी दोषसिद्धि के संबंध में निचली अदालत और अपीलार्थी अदालत द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से अलग दृष्टिकोण रखना संभव नहीं है। इसलिए, हम अपीलार्थी को आई. पी. सी. की धारा 34 के साथ पठित आई. पी. सी. की धारा 302 और 307 के तहत दोषी ठहराते हैं, लेकिन उसे दी गई सभी सजाएं इसके द्वारा रद्द कर दी जाती हैं क्योंकि किशोर न्याय अधिनियम, 2000 की धारा 16 को देखते हुए किशोर को ऐसी सजा नहीं दी जा सकती है।

34. जैसा कि ऊपर बताया गया है, किशोरावस्था के प्रश्न पर अपील की आंशिक रूप से अनुमति है, और उच्च न्यायालय का आदेश इस हद तक संशोधित रहेगा। याचिकाकर्ता इस समय जेल में है।

उनकी आयु अभी लगभग 43 वर्ष होनी चाहिए। इस तथ्य सहित सभी प्रासंगिक पहलुओं पर विचार करते हुए कि अपीलार्थी को इस न्यायालय द्वारा पहले ही किशोर घोषित किया जा चुका है और किशोर न्याय अधिनियम, 2000 की धारा 15 और 16 को ध्यान में रखते हुए, चूंकि अधिकतम अवधि जिसके लिए एक किशोर को हिरासत में लिया जा सकता है वह तीन साल है और अपीलार्थी पहले ही साढ़े चार साल के कारावास से गुजर चुका है, हम एतद्द्वारा आदेश देते हैं कि अपीलार्थी को तुरंत रिहा किया जाए, जब तक कि उसकी किसी अन्य अपराध में आवश्यकता न हो।

द्वारा तैयार किए गए हेडनोटः

अपील की आंशिक रूप से अनुमति है।

निधि जैन